संख्या–1445 / 69–1–12–20(बजट) / 07

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2012

विषय : **वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक–जी–24011 / 4 / 2012–यू0पी0ए0, दिनांक 07.05.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटित केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1124 / 26 / 72 / एक / 2012–13, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–37 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस0जे0एस0आर0वाई0) अर्न्तगत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु रू0 1030.158 लाख (रू0 दस करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र) राज्यांश की प्रथम किश्त के रूप में, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0 प्र0 (सूडा) / नोडल एजेंसी व्यय / धनराशि जारी करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगी कि योजना में भारत सरकार से समन्वय कर केन्द्रांश का आवंटन (एलोकेशन) प्राप्त हो गया है एवं योजना के अद्यावधिक संशोधनों / परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग व योजना की अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कियान्वयन गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी ढंग से नोडल एजेंसी / सूडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

2. उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।

3. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् यथा समय सम्बन्धित इंकाईयों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव / सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

6. इस धनराशि यथा समय / यथा निर्देश उपयोग के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

क्रमशः.....2 /

7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों की मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगें।

2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–37 के अंतर्गत लेखा शीर्षक **"2230–श्रम तथा रोजगार–02–रोजगार सेवायें–101–रोजगार सेवायें–01–केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (के.75/रा.25–रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या– 1545 (1)/69–1–12–20(बजट)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1
6. नियोजन अनु0–1 व 4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उपसचिव।